न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 38 / 2011
प्रविष्टि दिनांकः— 5—12—2011

गोपाल पुत्र सूरजकरण जाति दरोगा निवासी कोटडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
.... प्रार्थी

बनाम

1—सूरजकरण पुत्र जगरूप जाति गूर्जर निवासी कोटडी तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
..........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवण्टन अधिनियम 1970

उपस्थित : (1) श्री परशुराम चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री सुरेन्द्र मोहन अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक 03—05—2017

1— संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का सार इस प्रकार है कि भू—आवण्टन सलाहकार समिति ने केम्प कुहाडा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 06—01—2011 को अप्रार्थी संख्या 1 सूरजकरण पुत्र जगरूप जाति गूर्जर निवासी कोटडी तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 541 / 876 रकबा 0—30 हे0 वाके ग्राम कोटडी का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है जो विधि एवं नियम विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है।

2— प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3— प्रार्थी (आवेदक) द्वारा दस्तावेजात में प्रतिलिपी आदेश आवण्टन एवं नकले खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत की है।

4— बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि आवण्टन शुदा ख0नं0 541 / 876 पर सेटलमेन्ट से पहले मन प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। इस आराजी के पास में प्रार्थी की आराजी है तथा इस आधार पर दोनो को मिला कर प्रार्थी मौके पर मन प्रार्थी उक्त जमीन को काश्त करता चला आ रहा है। संवत 2055 से राजस्व रिकार्ड में कब्जे काश्त के कालम में मन प्रार्थी का नाम काबिज व्यक्ति के रूप में दर्ज है, संवत 2055 से पहले भी प्रार्थी ही इस जमीन को काश्त करता आ रहा था। आज भी मन प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी को आज तक इस जमीन से बेदखल नहीं किया गया। अप्रार्थी ने गलत तथ्य रखते हुए यह आवण्टन अपने हक में करवाया है। उपखण्ड अधिकारी ने भी संबंधित कागजात का अध्ययन नहीं किया है एवं अप्रार्थी की पात्रता के संबंध में कोई जांच नहीं की, इसलिए अप्रार्थी के हक में कागजी आवण्टन हुआ है। कब्जे के संबंध में सारी कार्यवाही कागजी कार्यवाही की है, कब्जा प्रार्थी का है तथा फसल प्रार्थी ने काश्त की है। कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार नहीं है। जिस समय आवण्टन किया गया था उस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

समय भी प्रार्थी का कब्जा था व प्रार्थी द्वारा फसल काश्त की थी, प्रार्थी के हक में नियमन किया व आवण्टन किया जाना था। ऐसा न कर आवण्टन अधिकारी ने गलत निर्णय दिया है अब अप्रार्थी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है अतः उक्त आवण्टन गलत होने से अप्रार्थी को किया गया आवण्टन निरस्त फरमाया जावे।

6— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ख0नं0 541/993 की भूमि अप्रार्थी के कब्जे में है जो मेरी खातेदारी की आराजी ख0नं0 541 से दक्षिणी तरफ अडवा है जो मेरी ही में मिली हुई है, प्रार्थी की वहां पर कोई आराजी नहीं है न ही उसका कभी कोई कब्जा रहा है। प्रार्थी ने पटवारी से मिलकर गलत इन्द्राज करवा लिया था लेकिन उसके बाद भी प्रार्थी का कोई कब्जा या इन्द्राज नहीं है। भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन अप्रार्थी के हक में किया गया है, प्रार्थी गलत रूप से अप्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि का सुपुर्दगीनामा दिया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे।

7— हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल पत्रावली एवं बहस उभयपक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू—आवण्टन सलाहकार समिति ने केम्प कुहाडा बुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 06—01—2011 को अप्रार्थी संख्या 1 सूरजकरण पुत्र जगरूप जाति गूर्जर निवासी कोटडी तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 541/876 रकबा 0—30 हे0 वाके ग्राम कोटडी का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने इस आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि विवादित भूमि पर आवण्टन के समय भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था, वर्तमान में भी है, उसके बावजूद भूमि प्रतिपक्षी सं0 1 को आवण्टित करदी गई एवं प्रतिपक्षी द्वारा आवण्टन शर्तो की पालना भी नहीं की गई है, सार्वजनिक प्रोकलोमेशन जारी नहीं किया गया, ये तथ्य प्रार्थी द्वारा सिद्व नहीं कर पाये है। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई हे जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 06—01—2011 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी, अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवण्टन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। जहां तक उद्घोषणा जारी नही करने का प्रश्न है तो यहॉ उल्लेख किया जाना उचित होगा कि प्रश्नगत आवण्टन प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 में मजमेआम में पूर्ण कोरम होने पर किया गया है। आवंटन प्रार्थना पत्र पर प्रतिपक्षी के हस्ताक्षर है और आवंटित भूमि का उसे सुपुर्दगीनामा भी प्रतिपक्षी दिया जा चुका है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है उसे भी प्रार्थी सिद्व नहीं कर पाये है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2055 में प्रार्थी द्वारा काश्त करना एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2061—62 में उसके पुत्र भंवरलाल द्वारा काश्त किये जाने का अंकन है। आवंटन सम्वत 2067 —68 का है और प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

द्वारा जो नकले अपने कब्जे काश्त के बारे में प्रस्तुत की है वे आवंटन से पूर्व की है, आवंटन के समय व उसके बाद के कोई भी साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे उसका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त सिद्व हों। यदि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं01 का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 03.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–केम्प मालपुरा

Scanned by CamScanner